

Nonjudicial stamp Rs 10/- enclosed

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



रुड़की विधान सभा की सीट

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा, उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, राजेन्द्र सिंह उन्नीर पुत्र/पुत्री/पत्नी (स्व) रमाध
सिंह उन्नीर आयु 59 वर्ष, जो प.नं. 139, M. Kansongyan, Pankes
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-
 - (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
 - (ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले)राज्य
 - (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
 - (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
 - (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे - 25-4-
 - (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं - 25-4-
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

OL

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। - शून्य -

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं. - शून्य -

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले)

राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है - शून्य -

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान रुड़की
तारीख जनवरी 2012

सत्यापन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
(राजेन्द्र सिंह पुंजर)

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रुड़की स्थान पर आज तारीख जनवरी 2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, उन्हें खाली रखें।

Sworn and
before me

Sunil Kumar Goyal
Advocate & Notary

IDENTIFIED BY
2012/1/12

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

कानून मंत्रालय, भारत सरकार
काठ-दिल्ली-110002
8 JAN 2012
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND

12AA 456198

राजेन्द्र सिंह पुत्र लव.बी. श्यामसिंह पुन्डीर सि
199 अमली बोट रुडकी के
शपथ पत्र के साथ एल्लग

